

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	कार्तिक 25, शुक्रवार, शाके 1934—नवम्बर 16, 2012 <i>Kartika 25, Friday, Saka 1934—November 16, 2012</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 16, 2012

संख्या प. 2 (20) विधि/2/2010.—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 नवम्बर, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम—सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2010
(2012 का अधिनियम संख्यांक 37)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 नवम्बर, 2012 को प्राप्त हुई]

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम—सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम—सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1973 के राजस्थान अधिनियम सं.11 की धारा 17 का संशोधन.—राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम—सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 11) की धारा 17 की विद्यमान उप—धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप—धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:—

“(5) उप—धारा (1) से (4) तक की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस

निमित्त नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, उस पर लागू होने योग्य अधिकतम-सीमा क्षेत्रफल से अधिक कोई भूमि, विहित गैर-कृषिक प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने के लिए अर्जित करता है:

परन्तु ऐसे व्यक्ति को-

- (i) ऐसे अर्जन की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर उस भूमि के प्रस्तावित गैर-कृषिक उपयोग के लिए संपरिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा; और
- (ii) प्रस्तावित गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर उस भूमि का प्रस्तावित गैर-कृषिक उपयोग प्रारंभ करना होगा।

(6) उप-धारा (1) से (4) तक की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं.) के प्रवृत्त होने से पूर्व उस पर लागू होने योग्य अधिकतम-सीमा क्षेत्रफल से अधिक भूमि अर्जित कर ली है, यदि ऐसा व्यक्ति, विहित गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के संपरिवर्तन के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर-भीतर राज्य सरकार को आवेदन करता है और प्रस्तावित गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए भूमि के संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर उस भूमि का प्रस्तावित गैर-कृषिक उपयोग प्रारंभ कर देता है।

(7) यदि उप-धारा (5) या उप-धारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति उप-धारा (5) या, यथास्थिति, उप-धारा (6) के उपबंधों या उप-धारा (5) के अधीन मंजूर किये गये अनुमोदन में विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, का उल्लंघन करता है तो ऐसा अनुमोदन वापस लिया गया समझा जायेगा और भूमि के गैर-कृषिक उपयोग के लिए भूमि के संपरिवर्तन का आदेश, यदि कोई हो, रद्द किया गया समझा जायेगा और उस व्यक्ति पर उप-धारा (1), (3) और (4) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों

सहित इस प्रकार लागू होंगे मानों कि उसने ऐसे उल्लंघन की तारीख को भूमि अर्जित की थी।

स्पष्टीकरण :-यह प्रश्न कि इस उप-धारा में यथा निर्दिष्ट उल्लंघन कारित किया गया है या नहीं, राज्य सरकार द्वारा सुना और विनिश्चित किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।”।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, November 16, 2012

No. F. 2 (20) Vidhi/2/2010.—In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Krishi Joton Par Adhiktam Seema Adhiropan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 37):—

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN IMPOSITION OF CEILING ON
AGRICULTURAL HOLDINGS (AMENDMENT) ACT, 2012
(Act No. 37 of 2012)**

[Received the assent of the Governor on the 9th day of November, 2012]

An

Act

further to amend the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 2010.

- (2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 11 of 1973.—After the existing sub-section (4) of section 17 of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973), the following sub-sections shall be added, namely :-

"(5) Nothing in sub-sections (1) to (4) shall apply to a person who acquires, with the prior approval of the State Government or any other authority appointed by it in this behalf, any land in excess of the ceiling area applicable to him, to be used for any of the prescribed non-agricultural purposes :

Provided that such person shall have to-

- (i) apply for conversion of the land for the proposed non-agricultural use within one year from the date of such acquisition; and
- (ii) commence the proposed non-agricultural use of the land within a period of three years from the date of conversion of the land for the proposed non-agricultural purpose.

(6) Nothing in sub-sections (1) to (4) shall apply to a person who has acquired, before the coming into force of the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings (Amendment) Act, 2010(Act No. of 2010), land in excess of the ceiling area applicable to him, if such person applies to the State Government, within one year of the coming into force of the aforesaid Act, for conversion of the land for the prescribed non-agricultural purpose and commences the proposed non-agricultural use of the land within a period of three years from the date of conversion of the land for the proposed non-agricultural purpose.

(7) If the person referred to in sub-section (5) or sub-section (6) contravenes the provisions of sub-section (5) or sub-section (6), as the case may be, or the conditions,

if any, specified in the approval granted under sub-section (5), the approval shall be deemed to have been withdrawn, and the order of conversion of land for non-agricultural use, if any, shall be deemed to have been cancelled and the provisions of sub-sections (1), (3) and (4) shall apply to him *mutatis mutandis* as if he had acquired the land on the date of such contravention.

Explanation.-The question as to whether the contravention as referred to in this sub-section has been committed or not shall be heard and decided by the State Government whose decision thereon shall be final."

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.